

2/0
10.11.17

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव।



उत्तराखण्ड शासन

अ0शा0प0सं: 1562 /XXX-1-2017
उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-1
देहरादून : दिनांक 13 नवम्बर, 2017

आदरणीय महोदय,

शासन द्वारा जनहित में आपको वर्तमान पदभार से अवमुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

(श्याम सिंह)

श्री भरत भूषण पाण्डेय,
अपर सचिव,
न्याय एवं विधि परामर्शी।

प्रिय महोदय,

उपर्युक्त की प्रति मुझे आपको सूचनार्थ प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है।

HISB,

भवदीय,

(श्याम सिंह)

श्री ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री,
उत्तराखण्ड शासन।

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

श्री रविनाथ रमन,
प्रभारी सचिव,
श्री राज्यपाल।

श्री आलोक कुमार वर्मा,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

- प्रतिलिपि:-
1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
 2. महानिदेशक, सूचना विभाग/आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, मण्डल/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड/संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की/एन0आई0सी0 को सूचनार्थ प्रेषित।
 3. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून/इरला चैक अनुभाग/सचिवालय प्रशासन (विविध) अनुभाग-1 एवं 2/राज्य सम्पत्ति विभाग/न्याय अनुभाग/कार्मिक अनुभाग - 3 को सूचनार्थ प्रेषित।
 4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।